कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर (राज0)

दिनांकः 07 JUL 2023

क्रमांक/स्था0/ 46/2023/

कार्यालय आदेश

श्री गोपाल कृष्ण शर्मा रीडर ग्रेड-प्रथम कार्यालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश थानागाजी को तुरंत प्रभाव से आगामी आदेश तक निर्देशित किया जाता है कि,वे अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बानसूर का थानागाजी में कैम्प कोर्ट न होने की अवधि में अपने कार्य के अतिरिक्त कार्यालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट थानागाजी में रीडर का कार्य करेंगे।

श्री गोपालकृष्ण शर्मा को यह भी निर्देशित किया जाता है कि थानागाजी में कैम्प कोर्ट नहीं होने की अवधि में,अपर जिला एवं सेशन न्यायालय थानागाजी में आवश्यक प्रकृति का न्यायिक कार्य प्रस्तुत होने पर व अधिवक्तागण/पक्षकारान द्वारा उसकी सुनवाई के लिए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बानसूर के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रार्थना करने पर,श्री गोपालकृष्ण शर्मा ही उस कार्य को लेकर बानसूर स्थित उक्त न्यायालय में जावेंगे।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश थानागाजी को निर्देश हैं कि वे श्री गोपाल कृष्ण शर्मा रीडर ग्रेड-प्रथम को उक्तानुसार कार्य करने हेतु पाबंद कर पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवावें।

(हरेन्द्र सिंह)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अलवर।

क्रमांक/स्था0/2023/ 2133-40 दिनांकः 07 JUL 2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश थानागाजी/बानसूर
2.-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट थानागाजी
3-सम्बधित कर्मचारी श्री--
4- लेखा शाखा/व्यक्तिगत पत्रावली/रक्षित पत्रावली
5- सिस्टम ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर की वेबसाईट पर अपलोड़ करने एवं सम्बंधित न्यायालयों को ई-मेल करने हेतु।

7.7.23
(हरेन्द्र सिंह)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अलवर।